भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2351
05 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि के लक्ष्य और उद्देश्य

2351. श्री सतीश चंद्र दूबेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) इस योजना के कार्यान्वयन के बाद से उक्त कोष के अंतर्गत बिहार में मत्स्यपालन और जलीय कृषि करने वाले किसानों को प्रदान किए गए रियायती वित्त पोषण का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त कोष के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों और प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 7522.48 करोड़ रुपए की कुल निधि के साथ मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) का सृजन किया । एफआईडीएफ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य संस्थाओं सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को चिन्हित मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। रियायती वित्त नोडल ऋण संस्थाओं (एनएलई) अर्थात् (i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), (ii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और (iii) सभी अनुसूचित बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। एफआईडीएफ के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार एनएलई द्वारा कम से कम 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 3% प्रति वर्ष तक ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है। एफआईडीएफ के उद्देश्य हैं; (i) मत्स्य पकड़ने (कैप्चर) और मत्स्य पालने (कल्चर) संबंधी मात्स्यिकी अवसंरचना का निर्माण और आधुनिकीकरण, (ii) समुद्री जलकृषि अवसंरचना का निर्माण, (iii) अंतर्देशीय मात्स्यिकी अवसंरचना का निर्माण और आधुनिकीकरण, (iv) पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करना और अवसंरचना संबंधी सहायता देकर घरेलू विपणन सुविधाओं में सुधार करना, (v) संसाधन की कमी को दूर करना और चल रही अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करना।

राज्य सरकारों, सरकारी एजेंसियों, सहकारी समितियों, एफएफपीओ और उद्यमियों/निजी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अब तक एफआईडीएफ के तहत कुल 3921.91 करोड़ रु/- की लागत से परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है और इन अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है । बिहार सरकार द्वारा या बिहार के उद्यमियों/किसानों द्वारा अभी तक एफआईडीएफ के तहत मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि एफआईडीएफ की योजना मांग आधारित है, अत: राज्यवार वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

*****

अनुबंध- I

मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के संबंध में दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री सतीश चंद्र दूबे, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2351 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**कुल परियोजना लागत**
1.	आंध्र प्रदेश	8	1313.32
2.	गुजरात	5	1354.92
3.	हरियाणा	1	1.17
4.	हिमाचल प्रदेश	1	5.17
5.	जम्मू और कश्मीर	1	73.58
6.	कर्नाटक	2	1.44
7.	केरल	1	0.81
8.	महाराष्ट्र	5	3.06
9.	मणिपुर	4	1.15
10.	मिजोरम	1	8.57
11.	उड़ीसा	3	24.68
12.	तमिलनाडु	33	1093.63
13.	पश्चिम बंगाल	10	27.99
14.	गोवा	1	6.41
15.	तेलंगाना	1	4.0 7
16.	उत्तर प्रदेश	1	0.22
17.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.68
18.	असम	1	0.41
	कुल	**80**	**3921.91**

*****